

SNB 105
10/11/12



प्र० २६
(नियम ४क देखिए)

२६, नी. एवं ई. एल - रानीपुर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटिनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, त्रिशिल्दा पात्रता पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. डॉ. रमेश आयु ३९ वर्ष, जो प५३, लिलू लोह काटा का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
 - (ii) पुलिस थाना (थाने) ~ जिला (जिले)
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है
 - (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
 - (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे
 - (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा ८ की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

Vm

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डादिष्ट किया गया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)

राज्य.....


(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान काशी

तारीख 10-1-2011


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपायी नहीं गयी है।


10-1-2011 स्थान पर आज तारीख 10-1-2011 को सत्यापित किया।

ATTESTED

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

**SURENDRA KUMAR
NOTARY ADVOCATE
DISTT. COURT, RAIPUR**

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी लगाना चाहते हैं, काट दिये जायें। **IDENTIFIED BY**


विद्या नंद पासवान
एडवोकेट
कृष्ण छोटे, द्विराज

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 252479

105
10/11/12



बिलानन्द पांसवाल
एडवोकेट
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल

V/H